www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 19.02.2017

सीबीआई ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रधान सचिव एवं दो प्राइवेट व्यक्तियों के विरूद्ध मामला दर्ज किया व कुछ स्थानों पर तलाशी ली

सीबीआई ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रधान सचिव (आई.ए.एस.-1988 बैच) ; ग्रेटर नोयडा (उत्तर प्रदेश) के निवासी एक प्राइवेट व्यक्ति ; हैदराबाद (तेलंगाना) निवासी एक अन्य प्राइवेट व्यक्ति व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध. उक्त लोक सेवक के द्वारा उसके विरूद्ध चल रही सीबीआई जाँच में मदद करने हेतु 1.5 करोड़ रू. (लगभग) की रिश्वत के तौर पर प्राइवेट व्यक्ति द्वारा लोक सेवकों को भुगतान करने के आरोप पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया। ऐसा आगे आरोप था कि उक्त लोक सेवक के द्वारा 45 लाख रू. (लगभग) की राशि को दिनांक 11.02.2017 तक रायपुर के एक हवाला डीलर को दिया जिसे आगे दिल्ली में एक प्राइवेट व्यक्ति (ग्रेटर नोयडा निवासी), को दिया जाना था, जिसमें से 20 लाख रू. (लगभग) दिल्ली के उक्त प्राइवेट व्यक्ति को दिया गया। ऐसा भी आरोप था कि रायपुर में एक अन्य प्राइवेट व्यक्ति (हैदराबाद निवासी) के परिचित को देने के लिए उक्त लोक सेवक के साले के द्वारा पहुँचाए गए 2 किग्रा. सोने के रूप में आंशिक रिश्वत का भुगतान स्वीकार करने हेतु प्राप्तकर्ता राजी हुआ।

जॉच के दौरान, 2 किग्रा. सोना बरामद हुआ। रायपुर, हैदराबाद एवं नई दिल्ली/ ग्रेटर नोयडा स्थित आरोपी व्यक्तियों एवं हवाला संचालकों के परिसरों में तलाशी की गई। तलाशी के दौरान, प्राइवेट व्यक्ति (ग्रेटर नोयडा निवासी), नई दिल्ली को पूर्व में पहुँचाई गई 20 लाख रू. (लगभग) की राशि बरामद हुई।

आगे की जॉच जारी है।

****